

Question Paper for written examination for selection of AMM/Group 'B' against 70% quota

Date : 14 December 2018

Time : 3 Hrs

Maximum Marks : 150

Instructions :

- A. Marks are indicated against each question.
- B. Answer any 5 questions
- C. Please don't make any corrections in any manner in answers to Objective Type Questions. Such corrected answers will not be evaluated at all.

Questions :

1. a. Write a short essay on "Official Language Act". - 15 Marks
b. Describe the structure of Stores Department from Railway Board's level to AMM level in HQ and field units. Also describe the reporting mechanism at each level i.e. how do officials at different levels report to the higher authorities in the organization. - 10 Marks
c. Name any 10 zones of Indian Railways and location of their HQ. - 5 Marks
2. a. Write down the Canons of Financial Propriety applicable to Indian Railways and Govt of India. - 10 Marks
b. Describe in brief the functions of Receipt Section in a Stores Depot. - 15 Marks
c. How A,B and C categories of Stores are determined ? How does this categorization help in Inventory Management ? - 5 Marks

3. Differentiate between :

- a. Price Preference and Purchase Preference - 6 Marks
- b. Liquidated damages and General damages - 6 Marks
- c. Bulletin Tender and Limited Tender - 6 Marks
- d. Works Program and M&P Program - 6 Marks
- e. Bill of Lading and Bill of Entry - 6 Marks

4. a. Describe different modes of tendering. Why do we need these different modes and cannot have just one mode of tendering ? What are the merits and demerits of these different modes of tendering ? -- 15 Marks
b. What are the important factors in deciding a tender ? How will you decide how much quantity you should order on what firm in a tender and at what rate ? What will you do if the rates received are 15% higher than last purchase rate against a tender nearly one year back ? --- 15 Marks



5. Write short notes on any 6 of the following (Total – 30 Marks. Each carries 5 marks) :

- a. Imprest Stores
- b. Arbitration
- c. Returned Stores
- d. Unsolicited offers in a limited tender
- e. Economic Order Quantity
- f. Procedure of opening and closing of wards
- g. Stock Verification of Stores
- h. Factors to be taken into account for deciding quantity to be procured for a stock item in present system of procurement in EC Railway
- i. Different types of leaves available to a railway employee

6. Fill in the blanks. Each question carries 1 mark.:

- a. Purchase Power of an AMM is upto Rs. in a tender case.
- b. Purchase Power of PCMM is upto Rs. in a tender case.
- c. Depot and Divisional Stores Officers can procure drugs and surgical items through local purchase for a value upto per case.
- d. In case of only one SAG officer in any department (in Stores, Finance or User department), in a SAG level tender a JAG officer can act as a tender committee member upto a tender value of Rs.
- e. The full form of PAC is
- f. In a tender of AMM level, Earnest Money has to be waived for a certain firm (which is not otherwise exempted to deposit Earnest Money) as per relevant Railway Board's guidelines. is the lowest authority to waive Earnest Money in this case.
- g. The power of an AMM for invitation of Single tender for items where it has not been possible to certify that a similar article, which could be used in lieu, is not manufactured /sold by any other firm. (PAC 6 'a' certified) is upto Rs.
- h. is the lowest level officer authorized to sign a Non-stock requisition for a workshop for value of purchase more than Rs. 45 Lakhs.
- i. Dy CMM has powers to approve AAC of an A Category item upto Rs.
- j. AMM has full powers to approve AAC of category items upto his power of purchase.
- k. For safety Items, vetting of Non-stock requisitions is not required upto a value of Rs.
- l. The full form of GeM is
- m. The full form of IREPS is
- n. Depot Officers may accept stores despatched after delivery date upto 6 months for a value upto Rs.



-

~~_____~~

सहायक सामग्री प्रबंधक / ग्रुप "बी" के 70 % कोटा में चयन के लिए लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र

समय : 3 घंटे

तारीख - 14 दिसंबर 2018

अधिकतम अंक : 150

निर्देश :

अ. प्रत्येक प्रश्न के बगल में निर्धारित अंक दर्शाये गए हैं।

ब. किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

स. कृपया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रकार का सुधार न करें। जिन उत्तरों में सुधार पाया जायेगा, उनकी जांच किसी भी प्रकार नहीं की जायेगी।

प्रश्न :

1. अ. राजभाषा अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। - 15 अंक

ब. भंडार विभाग की संगठनात्मक संरचना का ब्यौरा बोर्ड स्तर से लेकर मुख्यालय एवं क्षेत्रों में सहायक सामग्री प्रबंधक स्तर तक करें। हर स्तर पर रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का ब्यौरा दें, यानि यह बताएं की विभिन्न स्तरों पर अधिकारी अपने से ऊपर के अधिकारियों में किनको किस तरह रिपोर्ट करते हैं? - 10 अंक

स. भारतीय रेल के किन्ही 10 जोन के नाम एवं उनके मुख्यालयों के स्थान के बारे में बताएं! - 5 अंक

2 अ. भारतीय रेल एवं भारत सरकार पर लागू "वित्तीय औचित्य के सिद्धांत" को लिखें! - 10 अंक

ब. भंडार डिपो में प्राप्ति अनुभाग के कार्य कलाप का विवरण दें! - 15 अंक

स. A, B एवं C केटेगरी के स्टोर्स का निर्धारण कैसे होता है? ऐसा निर्धारण इन्वेंटरी प्रबंधन में कैसे मदद करता है? - 5 अंक

3. अंतर बताएं :

क. कीमत प्राथमिकता (प्राइस परेफरेंस) एवं खरीद प्राथमिकता (परचेज परेफरेंस) - 6 अंक

ख. परिनिर्धारित हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेज) एवं सामान्य हर्जाना (जनरल डैमेज) - 6 अंक

ग. बुलेटिन निविदा एवं सीमित निविदा - 6 अंक

घ. वर्क्स प्रोग्राम एवं एम्&पी प्रोग्राम - 6 अंक

च. लदान बिल (बिल ऑफ़ लैडिंग) एवं प्रवेश बिल (बिल ऑफ़ एंट्री) - 6 अंक

4. अ. टेंडर करने के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। हम इन तरीकों का क्यों प्रयोग करते हैं और क्या प्रापण के लिए सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इन सभी प्रकार के टेंडरों की खूबियों एवं कमियों का वर्णन करें! -- 15 अंक

ब. किसी टेंडर के निर्णय में किन-किन तथ्यों की मुख्य भूमिका होती है ? आप किस आधार पर निर्णय लेंगे की किस फर्म पर कितनी मात्रा का आर्डर और किस रेट पर देना चाहिए ? आप क्या करेंगे यदि प्राप्त रेट एक साल पहले किये गए टेंडर में स्वीकृत पिछले खरीद रेट से 15 % ऊँचे हों ? --- 15 अंक

5. किन्ही 6 पर टिपणी लिखें ! (कुल - 30 अंक ! प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं) :

- क. अग्रदाय भंडार
- ख. आर्बिट्रेशन (पंचनिर्णय)
- ग. लौटाया गया भंडार
- घ. सीमित निविदा में प्राप्त अयाचित प्रस्ताव (ऑफर)
- च. आर्थिक आदेश मात्रा
- छ. वार्डों के खोलने एवं बंद करने की प्रक्रिया
- ज. भंडार का स्टॉक सत्यापन
- झ. पुमरे में प्रचलित पद्धति के अनुसार, किसी स्टॉक मद की खरीद के लिए मात्रा निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारकों को ध्यान में रखेंगे ?
- ट. रेलवे स्टाफ को मिलनेवाली विभिन्न प्रकार की छुट्टियां

6. खाली स्थानों को भरें । प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है !

- क. एक सहायक सामग्री प्रबंधक की क्रय-शक्ति किसी टेंडर केस में Rs. तक है ।
- ख. किसी टेंडर केस में प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक की क्रय-शक्ति Rs. तक है ।
- ग. डिपो एवं डिविज़नल अफसर दवा एवं शल्य-चिकित्सा से सम्बंधित मदों की खरीद स्थानीय खरीद द्वारा Rs. तक प्रत्येक केस में कर सकते हैं ।
- घ. यदि किसी विभाग में सिर्फ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है (भंडार, वित्त या उपभोक्ता विभाग में), तब किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्तर के टेंडर में एक कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अफसर एक टेंडर समिति के सदस्य की तरह Rs. तक भाग ले सकते हैं ।
- च. PAC का पूरा नाम है
- छ. सहायक सामग्री प्रबंधक स्तर के एक टेंडर में अर्नेस्ट मनी जमा करने में छूट को किसी फर्म के लिए (जो वैसे उस छूट का हकदार नहीं है) स्वीकृति देने के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक कम से कम स्तर के अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता है ।
- ज. किसी सहायक सामग्री प्रबंधक की उन मदों के लिए जिनके लिए यह सत्यापित नहीं किया गया है की उसी तरह का कोई दूसरा मद जो उपयोग में लाया जा सकता है किसी और फर्म के द्वारा बनाया या बेचा नहीं जाता (PAC 6 'अ' सत्यापित) एकल निविदा आमंत्रित करने की शक्ति Rs. तक है ।



झ. किसी वर्कशॉप के लिए Rs 45 लाख से ज्यादा के नॉन-स्टॉक मांगपत्र पर हस्ताक्षर करने की शक्ति सबसे निम्न आधिकारिक स्तर पर के पास है !

ट. "ए" केटेगरी के मद का AAC को अनुमोदित करने की Dy CMM की शक्ति Rs..... तक है !

ठ. AMM को अपनी खरीद शक्ति तक केटेगरी मदों के AAC को अनुमोदित करने की पूर्ण शक्ति है !

ड. सेप्टी मदों के लिए नॉन-स्टॉक मांगपत्रों पर Rs तक वित्तीय भेटींग की आवश्यकता नहीं है !

ढ. GeM का पूरा नाम है

ण. IREPS का पूरा नाम है

त. माल डिलीवरी तारीख के 6 महीने के बाद तक भेजे गए भंडारों को डिपो अफसर स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते उसका मूल्य रु तक हो !!

थ. क्लास I स्टील का मटेरियल कलर है

द. रिस्क खरीद / जनरल डैमेज से हुए नुकसान को क्षमा / निरस्तीकरण (वैव) करने की AMM की शक्ति Rs तक है !

ध. क्षेत्रों (फील्ड) के भंडार अफसर प्रत्येक केस में Rs की लोकल परचेज कर सकते हैं !

न. डिविज़नल भंडार अफसर की एम्&पि मदों के स्पेयर ओईएम से या उनके अधिकृत एजेंट से लोकल परचेज खरीद के लिए क्रय शक्ति Rs तक है !

प. CMM के पास डेड स्टॉक में कमी, स्टॉक में रखे भंडार, टूल्स एवं प्लांट एवं मार्ग में क्षतिग्रस्त भंडार में नुकसान का निरस्तीकरण (राइट ऑफ) की शक्ति प्रत्येक मद में Rs तक है !

फ. किसी केस में सीमित निविदा के तहत एक ही ऑफर मिलने पर अर्जेन्सी सत्यापित करने की उपमुख्य सामग्री प्रबंधक की शक्ति Rs तक है यदि प्राप्त दर उचित हो !

ब. सहायक अधिकारी जो स्वतंत्र प्रभार में हैं, उन सभी स्टाफ को जिनका ग्रेड पे (छठे वेतनमान के अनुसार) Rs तक है को सस्पेंड कर सकते हैं या नियम 6 के तहत दण्डित भी कर सकते हैं !

भ. PHOD /CHOD को उच्च स्तरीय कार्य के लिए प्रति कर्मचारी रु तक के हिसाब से ग्रुप कैश अवार्ड देने का पूर्ण अधिकार है !

म. फर्नीचर को बदलने के लिए फर्नीचर की कम से कम उम्र साल होनी चाहिए !

य. कनिष्ठ प्रशासनिक/सलेक्शन ग्रेड के अधिकारी को कार्यालय के उपकरणों की वार्षिक सर्विस / रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर या कोटेशन से करने के लिए शक्ति रु तक है !

र. किसी नॉन-गज़ेटेड स्टाफ (मुख्यालय द्वारा नियंत्रित पोस्ट) के अंतर रेलवे ट्रांसफर के लिए कम से कम के अनुमोदन की आवश्यकता है !

ल. PLNO का अंतिम अंक कहलाता है !

व. डिपो अफसर को प्राप्ति रजिस्टर की जांच में कम से कम एक बार करनी चाहिए !

श. स्क्रेप मद की डिलीवरी देने के समय अलौह धातु की वस्तुओं की तौल पर की जानी चाहिए !

स. किसी भी भंडार को स्कैप की तरह बेचने से पहले उसका द्वारा स्कैप की तरह निर्धारित / नामित किया जाना आवश्यक है एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी आवश्यक है यदि उसे इसके लिए विशेष रूप से छूट न मिली हो !

ह. कस्टडी भंडार की प्राप्ति एवं पेमेंट के तुरंत पश्चात् उसके मूल्य को सीधे को डेबिट किया जाना चाहिए !

